पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Azadi Ka Amrit Mahotsav

PFRDA/2023/13/REG-PF/01 **Date: 20th April, 2023**

परिपत्र / CIRCULAR

प्रति / To,

सभी पेंशन निधियों के सीईओ / CEOs of All Pension Funds

महोदय / महोदया
Dear Sir / Madam,

विषय : मार्जिन आवश्यकताओं हेतु प्रतिभूतियों को CCIL के पास मार्जिन के रूप में रखने की अनुमति के संदर्भ में
SUBJECT: Permission for keeping of securities as margin with the CCIL for margin requirements-reg.

कृपया एनपीएस के तहत सरकारी क्षेत्र योजनाओं तथा निजी क्षेत्र योजनाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2021 के परिपत्र के माध्यम से जारी निवेश दिशानिर्देशों तथा उसके पश्चात् किए गए संशोधनों का सन्दर्भ लें।

Reference is invited to the investment guidelines issued by the Authority vide circulars dated 20th July, 2021 for Government Sector schemes and Private Sector schemes under NPS and the subsequent amendments made thereunder.

2. CCIL द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से मार्जिन नियमों में किए गए परिवर्तन के अनुरूप, पेंशन निधियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और TREPS में निवेश के लिए मार्जिन आवश्यकताओं हेतु CCIL के पास मार्जिन के रूप में प्रतिभूतियों को रखने की अनुमति दी गयी है।

2. In line with the changes introduced by CCIL regarding margin rules vide notification dated 26th August, 2021, the Pension Funds are hereby allowed by the Authority to keep securities as margin with the CCIL for margin requirements for investment in Government securities and TREPS.

3. उक्त संशोधन के अधीन, निवेश दिशानिर्देशों (संशोधनों सहित) में निहित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. Subject to the aforementioned revision, all other terms and conditions as contained in the investment guidelines (along with the amendments) shall remain unchanged.

बी–14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26517501, 26517503, 26133730, फैक्स : 011–26517507, वेबसाईट : www.pfrda.org.in

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Phone : 011-26517501, 26517503, 26133730, Fax : 011-26517507, Website : www.pfrda.org.in

4. यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 23 के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) के उप-खंड (ख) और समय-समय पर संशोधित पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के विनियम 14 के उप-विनियम (1) के तहत प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

4. This circular is issued in exercise of powers of the Authority under sub-clause (b) of sub-section (2) of Section 14 read with Section 23 of the PFRDA Act, 2013 and sub-regulation (1) of Regulation 14 of PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015 as amended from time to time.

5. यह संशोधन इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होगा।

5. The revision shall be effective from the date of this circular.

भवदीय / Yours sincerely,

(ए.के. सोनी /A. K. Soni)
कार्यकारी निदेशक / Executive Director

प्रतिलिपि/Copy to:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनपीएस न्यास, नई दिल्ली/
   Chief Executive Officer, NPS Trust, New Delhi
2. मुख्य महाप्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग-निधि प्रबंधन (पेंशन निधि), पीएफआरडीए।
   Chief General Manager, Supervision Department-Fund Management (Pension -Fund), PFRDA.